



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102021-230223
CG-DL-E-07102021-230223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]
No. 581]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 7, 2021/आश्विन 15, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 723(अ).--केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन स्कीम का संक्षिप्त नाम बालकों के लिए प्रधानमंत्री देखरेख स्कीम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं:--

(1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

- “खाता” से इस स्कीम के अधीन डाकघरों में खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- “खाताधारक” से फायदाग्राही बालक अभिप्रेत है, जिसके नाम से खाता धारण किया जाता है;
- “अधिनियम” से सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- “संबंधित प्राधिकरण” से समन्वय और स्कीम के समग्र प्रबंधन के प्रयोजन के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय अभिप्रेत है;
- “घटना की तारीख” से 11.03.2020 से 11.12.2021 के बीच की तारीख अभिप्रेत है, जिसके दौरान बालक, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, के माता-पिता दोनों या अंतिम उत्तरजीवी माता-पिता या दोनों दत्तक माता-पिता या एकल विधिक संरक्षक की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु हो गई है;

- (च) “खाता खोलने की तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको स्कीम के अधीन खाता खोला जाता है;
- (छ) “प्ररूप” से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं;
- (ज) “साधारण नियम” से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;
- (झ) “संयुक्त खाताधारक” से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जो इस स्कीम के अधीन खाते के प्रचालन के प्रयोजन के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करेगा;
- (ञ) “स्कीम मार्गदर्शन” से बालकों के लिए प्रधानमंत्री देखरेख स्कीम, 2021 पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शन अभिप्रेत हैं;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम और साधारण नियमों में है।

3. खाता खोलना – (1) किसी पात्र फायदाग्राही, जिसने घटना की तारीख को, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और जो खाता खोलने की तारीख को अठारह वर्ष का नहीं हुआ है, के लिए स्कीम मार्गदर्शन के अनुसार संयुक्त खाताधारक के रूप में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ फायदाग्राही के नाम से खाता खोला जा सकेगा:

परंतु स्कीम मार्गदर्शन के अधीन अन्यथा पात्र किसी फायदाग्राही के लिए एकल खाता खोला जा सकेगा, जो खाता खोलने की तारीख को अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु का है।

(2) इस स्कीम के अधीन पैरा 3 के उप पैरा (1) के अधीन यथाउपबंधित के सिवाय कोई संयुक्त खाता नहीं खोला जाएगा।

(3) प्ररूप 1 में खाता खोलने के लिए आवेदन के साथ स्कीम दिशानिर्देशों के अधीन पात्र फायदाग्राही के संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न होंगे।

4. जमा :- (1) अग्रिम एकमुश्त अभिदाय केवल पीएम केयर निधि से, खाता खोलने के एक मास के भीतर नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा :-

(आयु आधारित अग्रिम एकमुश्त अभिदाय उपदर्शित करते हुए सारणी)

सारणी

खाता खोलने के समय पात्र फायदाग्राही की आयु	परिपक्वता (वर्ष की संख्या)	अग्रिम एकमुश्त अभिदाय (रुपए में) (निकटतम रुपए)
1 वर्ष	17	2,87,870
2 वर्ष	16	3,09,750
3 वर्ष	15	3,33,290
4 वर्ष	14	3,58,620
5 वर्ष	13	3,85,870
6 वर्ष	12	4,15,200
7 वर्ष	11	4,46,750
8 वर्ष	10	4,80,710
9 वर्ष	9	5,17,240
10 वर्ष	8	5,56,550
11 वर्ष	7	5,98,850
12 वर्ष	6	6,44,360
13 वर्ष	5	6,93,330
14 वर्ष	4	7,46,030
15 वर्ष	3	8,02,720
16 वर्ष	2	8,63,730
17 वर्ष	1	9,29,370
18 वर्ष और उससे उपर	0	10,00,000

(2) पीएम केयर निधि से एकमुश्त अभिदाय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पात्र फायदाग्राही की आयु आगामी जन्म की तारीख को पूरे हुए वर्ष की संख्या होगी।

उदाहरण स्वरूप – 4 मास की आयु के पात्र फायदाग्राही के लिए अप्रकंट एकमुश्त अभिदाय एक वर्ष की आयु के लिए विनिर्दिष्ट रकम होगी। इसी प्रकार, 12 वर्ष 9 मास की आयु के पात्र फायदाग्राही के लिए अप्रकंट एकमुश्त अभिदाय रकम 13 वर्ष की आयु के लिए विनिर्दिष्ट रकम होगी। मासों और दिनों की किसी भी संख्या को अगले पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

(3) पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अनुसार संगणित आयु आधारित अप्रकंट एकमुश्त अभिदाय, सारणी निर्दिष्ट करके खाता धारक के खाते में जमा कर दिया जाएगा तथा अप्रकंट अभिदाय 10 लाख रुपए होगा जब खाता धारक की आयु 18 वर्ष हो जाती है।

(4) खाता धारक के 18 वर्ष की आयु का होने पर, 10 लाख रुपए की निधि के साथ उक्त खाता, खाता धारक का एकल खाता हो जाएगा तथा खाता धारक के 18 वर्ष से 23 वर्ष की आयु का होने तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) स्कीम, 2019 पर लागू ब्याज की दर लगेगी।

(5) अन्यथा पात्र फायदाग्राही हेतु किन्तु जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का पैरा 3 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अधीन खाता खोलने की तारीख को हो गया है, 10 लाख रुपए का अप्रकंट एकमुश्त अभिदाय पात्र फायदाग्राही के नाम पर एकल खाते में जमा किया जाएगा तथा 10 लाख रुपए की निधि पर खाताधारक के 23 वर्ष की आयु का होने तक अप्रकंट एकमुश्त अभिदाय के जमा होने की तारीख से उस अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) स्कीम, 2019 पर लागू उसी प्रचलित ब्याज की दर लगेगी।

5. जमा पर ब्याज – (1) पात्र फायदाग्राही के खाते में अप्रकंट एकमुश्त अभिदाय 10 लाख रुपए हो जाएगा जब खाताधारक की आयु 18 वर्ष हो जाती है।

(2) यदि खाता पैरा 4 के उप-पैरा (5) में खोला गया है, तो खाता मासिक ब्याज स्कीम के रूप में प्रचालित होगा और मासिक ब्याज खाते में अप्रकंट एकमुश्त अभिदाय के जमा होने की तारीख से एक मास पूर्ण होने पर खाता धारक को संदेय होगा।

(3) 10 लाख रुपए की निधि के साथ एकल खाता, खाता धारक के 18 वर्ष का होने पर मासिक ब्याज स्कीम के रूप में प्रचालित होगा तथा खाता धारक के 18 वर्ष से 23 वर्ष की आयु का होने तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) स्कीम, 2019 पर लागू ब्याज की दर लगेगी।

(4) स्कीम के अधीन भविष्यलक्षी आधार पर खाते में अप्रकंट एकमुश्त अभिदाय को जमा करने पर ब्याज संदत्त किया जाएगा और यदि 10 लाख रुपए की निधि के साथ खोले गए एकल खाते से प्रत्येक मास संदेय ब्याज पर दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज अर्जित नहीं होगा।

(5) खाता धारक के 23 वर्ष की आयु का होने पर कोई ब्याज संदत्त नहीं किया जाएगा।

(6) ब्याज को एक रुपए के निकटतम बहुगुणक तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसा या उससे अधिक की रकम को एक रुपए माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम की रकम की उपेक्षा कर दी जाएगी।

6. खाते का प्रचालन – (1) पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसार खोला गया खाता (खाते को खोलने की तारीख को अठारह वर्ष से कम के) खाता धारक और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ संयुक्त खाते के रूप में प्रचालित होगा।

(2) अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के खाता धारक के लिए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अधीन, खाता धारक द्वारा केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् एकल खाते के रूप में प्रचालित किया जाएगा।

7. खाते को समय से पूर्व बन्द करना – (1) अल्पवय खाता धारक की मृत्यु होने की दशा में खाते को प्ररूप-2 में आवेदन पर बन्द कर दिया जाएगा तथा पीएम-केयरनिधि में और पारेषण के लिए एकमुश्त अप्रकंट अभिदाय संयुक्त खाता धारक को संदत्त किया जाएगा।

(2) खाते का समय-पूर्व निकासी या बन्द करना अनुज्ञात नहीं होगा।

8. **खाता बन्द करना** – स्कीम का दृष्टिकोण खाता धारक के 18 वर्ष की आयु का होने के समय अप्रेंट एकमुश्त अभिदाय 10 लाख रुपए होने का है और जब खाता धारक की आयु 23 वर्ष हो जाती है तो पात्र बकाया खाता धारक को संवितरित कर दिया जाएगा तथा खाते को प्ररूप-2 में आवेदन पर बन्द कर दिया जाएगा।

9. **स्कीम का प्रबन्धन** – महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल कार्यालय होगा तथा स्कीम को आरम्भ करने और उसके प्रचालन से संबंधित सभी विषयों को देखेगा, जिसके अन्तर्गत समस्या समाधान, फायदाग्राहियों की पहचान, खाते खोलना, अप्रेंट एकमुश्त अभिदाय का संदाय, स्कीम संबंधी और फायदाग्राही-वार जमाओं और निकासियों का लेखांकन, स्कीम संबंधी जमा करना और चुकाना, कार्यान्वयन के दौरान अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय भी है।

10. **स्कीम को बन्द करना** – पात्र फायदाग्राहियों के सिवाय स्कीम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्कीम नियत परिपक्वता अवधि (क्लोज एण्डेड) की होगी तथा पीएम-केयर निधि से अप्रेंट एकमुश्त अभिदाय और बकाया का निपटारा होने पर स्कीम बन्द हो जाएगी।

11. **साधारण नियमों का लागू होना** – साधारण नियमों के उपबंध, यथासाध्य, उन विषयों के संबंध में लागू होंगे जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।

12. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के किन्हीं उपबंधों के प्रचालन से खाता धारक को असम्यक् कठिनाई हो रही है, तो वह आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उस रीति में जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे खाता धारक के संबंध में उस उपबंध या उपबंधों की अपेक्षा को शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. 14/1/2019.एनएस(भाग.1)]

आशीष वच्छानी, संयुक्त सचिव

प्ररूप -1

प्रधानमंत्री द्वारा बालकों की देखभाल स्कीम, 2021 के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन

प्रति

पोस्टमास्टर

.....

खाताधारक का फोटो
चिपकाएँ

.....

श्रीमान,

मैंने/हमने आपके डाकघर में अवयस्क/स्वयं के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा बालकों की देखभाल स्कीम, 2021 के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन किया है।

2. मैंने/हमने, प्रारंभिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण/चेक/डीडीनंबर तारीख..... रुपए/..... रुपए जमा किया है।

3. संयुक्त खाताधारक का विवरण

(खाताधारक के अवयस्क होने की स्थिति में ही भरा जाना है): जिला मजिस्ट्रेट,

..... जिला

4. खाताधारकों का विवरण इस प्रकार है: -

खाता धारक का नाम	
लिंग	
पिता का नाम	
जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) और शब्दों में	
जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (सं./तारीख/जारीकर्ता प्राधिकारी)	
आधार संख्या	
पैन नंबर (यदि उपलब्ध हो)	
मोबाइल नंबर	
ईमेल पता यदि कोई हो	
वर्तमान पता	
स्थायी पता	
संलग्न दस्तावेजों का विवरण (आधार/अन्य)	

5. मेरे/हमारे नमूना हस्ताक्षर

1.....2.....3.....
(नाम).....

1.....2.....3.....
(नाम).....

मैं स्कीम और समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों पर लागू स्कीम के उपबंधों और सरकारी बचत प्रोत्साहन नियम-2018 का पालन करने का वचन देता हूँ।

खाताधारक/संयुक्त खाताधारक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
तारीख :

नाम निर्देशन

(केवल तभी अपेक्षित है जब खाताधारक ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो)

6. मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति (यों) को नामनिर्देशित करता हूँ, जिन्हें मेरी मृत्यु की स्थिति में अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर मेरी मृत्यु के समय मेरे खाते में जमा राशि देय होगी।

क्र.सं.	नामनिर्देशिती व्यक्ति का नाम और संबंध	पूरा पता	नामनिर्देशिती व्यक्ति की आधार संख्या (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नामनिर्देशिती व्यक्ति की जन्म तारीख	पात्रता का हिस्सा	पात्रता की प्रकृति न्यासी या मालिक
1						
2						
3						
4						

जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट क्रमांक(ओं) पर नामनिर्देशिती अवयस्क हैं/हैं,

मैं नामनिर्देशिती (यों) के अवयस्क के दौरान मेरी मृत्यु होने की स्थिति में उक्त खाते के अधीन देय राशि प्राप्त करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/, पुत्री/ पत्नी.....

..... पता को
..... नियुक्त करता/करती हूँ।

1. साक्षी के हस्ताक्षर

नाम और पता

2. साक्षी के हस्ताक्षर

नाम और पता

खाताधारक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान:

तारीख:

डाकघर/बैंक के उपयोग के लिए

खाताखाता संख्या _____ तारीख _____
ग्राहक पहचान संख्या द्वारा (स्कीम का नाम) के
अधीन

..... के नाम से खोला गया है।

नामनिर्देशन संख्या तारीख..... के द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।

प्ररूप -2
खाता बंद करने के लिए आवेदन

डाकघर का नाम _____

तारीख _____

खाता संख्या _____

1. मैं पास बुक/जमा रसीद जमा करता हूँ और उपरोक्त खाते को बंद करने के लिए आवेदन करता हूँ।
2. खाते की परिपक्वता की तारीख(केवल उस स्थिति में भरी जानी है जहाँ खाता परिपक्वता पर या उसके बाद बंद हो जाता है)
3. कृपया खाते में पात्र शेष की राशि मेरे सेविंग बैंक खाता संख्या _____ को _____ (खाता कार्यालय का नाम) पर जारी करें।

अथवा

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/अकाउंट पेयी चेक जारी करें

खाताधारक/संयुक्त खाताधारक/नामनिर्देशिती/विधिक उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (अंगूठे का निशान लेखा कार्यालय के परिचित व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

संदाय आदेश

(कार्यालय के उपयोग के लिए ही)

तारीख

भुगतान विवरण

मूल रकम _____ रुपए

(+) ब्याज बकाया _____ रुपए

(--)**अधिक भुगतान किए गए ब्याज की वसूली** _____ रुपए

कटौती यदि कोई हो _____ रुपए

कुल बकाया राशि _____ रुपए

संदाय _____ रुपए (आंकड़ों में) _____ (शब्दों में)

तारीख

पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर